

# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/48/2025

रजू दिनांक: 25.04.2025

रजि0 न0 2025/86

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री अम्बरीष वशिष्ठ, निवासी 352, ई-ब्लॉक,  
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर-  
302005, जिला जयपुर (राजस्थान)।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला  
कलक्टर (शहर), जिला अलवर (राजस्थान)


अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 08.07.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन दिनांक 12.02.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/1781 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत सूचना आवेदन संख्या 3197 दिनांक 03.03.2025 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1092 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्रार्थी को सूचना दी जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1092 दिनांक 23.09.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर अवगत कराया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/1782 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



  
(डॉ. आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राजस्थान)